

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 42/18

तारीख दस

रायसिंह पिता गौरुलाल जी जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. सूर्य पिता हरिप्रसाद जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी नयागांव तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. गोरु पिता मांगू जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी नयानगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

प्रार्थना पत्र श्री श्री श्री श्यामी प्रिया गौड़ डेगण दिनांक 16-4-18  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 47 पर अंकित आराजी संख्या 1240/151 रकबा 12-00 बीघा है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्रावली 9 नव 50 न 8  
अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 47 पर अंकित आराजी संख्या 1240/151 रकबा 12-00 बीघा बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा  
बिजौलियाँ